भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **1017**

(मंगलवार, **28** जुलाई, 2026/**6** श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लए)

कारपोरेट फाइ लंग हेतु डजिटल प्लेटफॉर्म

1017 श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या कारपोरेट फाइ लंग हेतु डजिटल प्लेटफॉर्मों को सुदृढ़ कया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई तकनीकी समस्याएं सू चत की गई हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) एवं (ख): व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने, अनुपालन को सुदृढ़ करने तथा पारद र्शता बढ़ाने के लए एमसीए**21** के संस्करण **3** (एमसीए**21** वी**3**) का शुभारंभ कया गया है। वेब फाइ लंग, एलएलपी मॉड्यूल, कंपनी मॉड्यूल, ई-प्रवर्तन, ई-न्यायनिर्णयन, ई-परामर्श, ई-बुक तथा लर्निंग मैनेजमेंट सस्टम जैसे मॉड्यूल कार्यान्वित कए गए हैं। अब सभी फाइ लंग वी**3** के माध्यम से की जाती हैं। प्ररूपों को पोर्टल पर ही ऑनलाइन भरा जाता है। पोर्टल, प्रपत्र भरते समय प्र वष्टियों की जांच करता है तथा मंत्रालय के पास पहले से उपलब्ध मास्टर डाटा को स्वतः भर देता है। इससे मानवीय त्रुटियाँ तथा पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता कम होती है और हितधारकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी फाइ लंग पूरी करने में सहायता मलती है।

(ग) एवं (घ): हितधारकों द्वारा समय-समय पर कुछ तकनीकी समस्याओं की सूचना दी जाती है। एमसीए**21** पोर्टल से संबं धत शकायतों के निवारण के लए एक हेल्पडेस्क स्था पत कया गया है। वत्तीय वर्ष **2025-26** के दौरान हेल्पडेस्क पर **3,67,785** शकायत दर्ज की गई तथा उनका निवारण कया गया। ये शकायत तकनीकी समस्याओं, जागरूकता संबंधी मुद्दों, प्र क्रया संबंधी अनुरोधों तथा हितधारकों के सुझावों अथवा फीडबैक से संबं धत थे। शकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार के लए मंत्रालय ने शकायतों के निस्तारण की समीक्षा करने हेतु व्यावसायिक संस्थानों को नियुक्त कया है।
